

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION  
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

**RAJYA SABHA**  
STARRED QUESTION NO.244  
**TO BE ANSWERED ON 11<sup>TH</sup> AUGUST, 2023**

**COVERAGE UNDER PDS**

244 SHRI KAPIL SIBAL:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that National Food Security Act (NFSA) beneficiaries are decided on the basis of 2011 census data;
- (b) if so, considering the fact that the census has been delayed, steps taken to ensure that there are no exclusions and the beneficiaries get their due under Public Distribution System (PDS);
- (c) whether it is also a fact that intra-State transactions under One Nation One Ration Card (ONORC) are much larger than inter-State transactions, if so, the reasons therefor; and
- (d) the steps taken by Government to spread awareness and information about ration card portability, especially among migrants?

**A N S W E R**  
MINISTER OF COMMERCE & INDUSTRY, CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC  
DISTRIBUTION AND TEXTILES  
**(SHRI PIYUSH GOYAL)**

---

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (d) OF THE STARRED QUESTION NO. \*244 FOR ANSWER ON 11.08.2023 IN THE RAJYA SABHA

(a): Section 9 of the National Food Security Act, 2013 (NFSA) provides that the percentage coverage under the Targeted Public Distribution System in rural and urban areas for each State shall be determined by the Central Government and the total number of persons to be covered in the State shall be calculated on the basis of the population estimates as per the census of which the relevant figures have been published. At the time of implementation of NFSA, the latest published figures of Census pertaining to the year 2011 was used to determine the coverage of all States/Union Territories (UTs).

(b): The National Food Security Act, 2013 provides for coverage of upto 75% of the rural population and upto 50% of the urban population, which at Census 2011 comes to 81.35 crore persons. Intent of the Government for conducting Census 2021 was notified in Gazette of India on 28th March, 2019. Due to outbreak of COVID-19 pandemic, the Census 2021 and the related field activities could not be undertaken.

At present, against the intended coverage of 81.35 crore, 80.24 crore beneficiaries are identified by the States/UTs under the Act. Still, there is scope for identification of 1.11 crore additional beneficiaries under the Act by the State Governments. The Coverage under the Act is sufficient high to ensure that all the vulnerable and needy sections of the society get its benefit.

(c): The main objective of One Nation One Ration Card (ONORC) is to empower all beneficiaries including migrant beneficiaries to access their NFSA foodgrains from any Fair Price Shop (FPS) of their choice, anywhere in the country, by using their same existing ration card with biometric authentication on an electronic Point of Sale (ePoS) device.

Under Intra-State portability, NFSA beneficiaries are allowed to avail ration from any FPS within the State including nearby FPSs to avoid travel to tagged (original) FPS whereas Inter-State portability is being used by migrant NFSA beneficiaries outside their native/home State. Since, number of beneficiaries visiting near by FPSs are more than the beneficiaries who working outside their home State, therefore, Intra-State Portability transactions are comparatively more.

.....2/-

While, the Inter-State portability gives flexibility to migrant beneficiaries to be self-reliant for their food security and ease of living with livelihood anywhere in the country, at the same time it also allows their family members back in the village/home (if any) to also draw the part/balance foodgrains on the same ration card for their food security.

(d): A nationwide campaign has been carried out to create awareness among the NFSA beneficiaries about ONORC in different modes viz. FM/Radio channels, displaying audio visual spots at railway stations, banners, posters at outdoors and Fair Price Shops (FPSs), bus wraps etc. Apart from this States/UTs employed their own means for these campaigns.

Recently, this Department has launched an awareness generation campaign of ONORC on 168 FM channels and 45 TV Channels across the country for which a 30 second radio spot and a 30 second Tele Vision Commercials (TVCs) have been developed in 12 different languages viz. Hindi, Assamese, Bengali, English, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil and Telugu.

\*\*\*\*

भारत सरकार  
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 244  
11 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न  
पीडीएस के अन्तर्गत कवरेज

\*244. श्री कपिल सिब्बल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के संबंध में निर्णय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनगणना में देरी हुई है, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कोई पात्र व्यक्ति इसके लाभों से वंचित न रह जाए और लाभार्थियों को उनका हक मिले;

(ग) क्या यह भी सच है कि वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत राज्य में आंतरिक लेनदेन अंतर-राज्यीय लेनदेन की तुलना में बहुत अधिक है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा, विशेषकर प्रवासियों के बीच, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के बारे में जागरूकता और जानकारी फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री  
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण।

(क) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) की धारा-9 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज के प्रतिशत का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का आकलन जनगणना के उस जनसंख्या अनुमान के आधार पर किया जाएगा जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के समय, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कवरेज को निर्धारित करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग किया गया था।

(ख) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को कवर करने का प्रावधान है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। जनगणना 2021 कराने के संबंध में सरकार का प्रयोजन दिनांक 28 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और उससे संबंधित फील्ड गतिविधियां नहीं की जा सकीं।

वर्तमान में, इस अधिनियम के तहत, 81.35 करोड़ की अपेक्षित कवरेज के प्रति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 80.24 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई है। अभी भी, राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के तहत 1.11 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने की गुंजाइश है। समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इस अधिनियम का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कवरेज दिया गया है।

(ग): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों सहित सभी लाभार्थियों के लिए एनएफएसए खाद्यान्नों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन के साथ अपने उसी मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दूर दुकान (एफपीएस) से एनएफएसए खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए सशक्त बन सकें।

.....2/-



अंतरा-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत, एनएफएसए लाभार्थी अपने राशन कार्ड में टैग (वास्तविक) की गई राशन की दुकान पर निर्भर हुए बिना अपनी नज़दीकी उचित दर दुकानों सहित राज्य में अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं जबकि अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी का उपयोग उन प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों द्वारा किया जा रहा है जो अपने निवास/गृह राज्य से दूर रहते हैं। चूंकि नज़दीकी उचित दर दुकान पर जाने वाले लाभार्थियों की संख्या उन लाभार्थियों से अधिक है जो अपने गृह राज्य से बाहर काम करते हैं, इसलिए अंतरा-राज्यीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन तुलनात्मक अधिक होते हैं।

अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी द्वारा प्रवासी लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश में कहीं भी रहने पर उनके जीवन को सुविधाजनक बनाती है। इसके साथ ही इसके द्वारा गांव/निवास (यदि कोई हो) में रहने वाले परिवार के सदस्यों को भी उनकी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसी राशन कार्ड पर आंशिक/शेष खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

(घ): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के संबंध में एनएफएसए लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एफएम/रेडियो चैनल, रेलवे स्टेशनों पर दृश्य-श्रव्य स्पॉट्स, बाह्य स्थानों और उचित दर दुकानों, बस रैपों पर बैनरों, पोस्टरों जैसे विभिन्न माध्यमों द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा, इस अभियान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।

हाल ही में, विभाग ने देशभर में 168 एफएम चैनलों और 45 टीवी चैनलों पर ओएनओआरसी के जागरूकता अभियान की शुरुआत की है जिसके लिए 30 सेकंड का रेडियो स्पॉट और 30 सेकंड के टेलीविज़न कमर्शियल को 12 विभिन्न भाषाओं अर्थात् हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगू भाषा में विकसित किया गया है।

\*\*\*\*\*

MR. CHAIRMAN: Shri Kapil Sibal. ...(*Interruptions*)... Hon. Member is not present. ...(*Interruptions*)...

**साध्वी निरंजन ज्योति:** माननीय सभापति महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।  
...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Q.No.245. ...(*Interruptions*)... Dr. Sasmit Patra.  
...(*Interruptions*)...